प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 8594 **लखनऊः दिनांकः** 02-12-2024

विषयः सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 7634, दिनांकः 07.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद द्वारा सत्र 2024–25 हेतु पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संचालित निजी क्षेत्र की संस्थाओं को पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु यू–राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसी संस्थाऐं जिन्हें पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2024–25 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान कर दिया गया है। **दिनांकः 10.12.2024** तक यू–राईज पोर्टल पर अपनी संस्था के su login के माध्यम से संस्था संबंधी सूचना की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2024–25 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

यू–राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही नवीनतम शासनादेश के अनुसार सम्बद्धता विस्तार शुल्क (रू0 पचास हजार + जी0एस0टी0) दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान किया जाएगा, उन्हीं संस्थाओं को परिषद से सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर विचार किया जाएगा एवं ऐसे संस्थानों की ही सूची संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सत्र 2024–25 हेतु आयोजित प्रवेश प्रक्रिया / काउन्सिलिंग हेतु अग्रसारित की जाएगी।

यू–राईज पोर्टल पर आवेदन न किये जाने एवं सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 8595-99 **तद्दिनांकः** 02-12-2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव